अध्याय–पंचम

शोध–सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 शोध–सारांश

5.2 निष्कर्ष

5.3 शैक्षिक महत्व

5.4 सुझाव

5.5 शोध अध्ययन के दौरान आयी कठिनाईयाँ

अध्याय–पंचम

शोध–सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 शोध – सारांश :

प्रस्तुत शोध–सारांश, शोध विषय **"बैगा–जनजाति की शिक्षा में आने वाली कठिनाईयाँः एक अध्ययन"** बैगा बाहुल्य डिंण्डौरी–जिला के विकासखण्ड समानपुर के गांव (पौड़ी, समर्धा, कमको, पिपरियाँ) में संपन्न हुआ। चूँकि समनापुर विकासखण्ड की कुल जनसंख्या 4,259 हैं जिसमें 2,133 पुरूष व 2,126 महिलाएँ हैं। इनमें से मात्र 140 शिक्षित है। शेष 4,119 अशिक्षित है जो शिक्षा की निम्न शैक्षिक–स्थिति की घोतक है। शोध अध्ययन के दौरान शोध–क्षेत्र में पाया गया कि–

शाला जाने वाले बालक–बालिका के पिता कुल योग का 33.3 प्रतिशत (सुरक्षा गार्ड, चपरासी, शिक्षक) के रूप में सेवा प्रदान कर रहे है, जो कुल योग का 75 प्रतिशत है। इनकी मासिक आय लगभग 3,000 है। इनके प्रायः 1–2 बच्चे है। ये आंगनबाड़ी, सर्वाशिक्षा अभियान, जनश्री, बीमा योजना, छात्रवृत्ति व छात्रावास योजना के बारे में जानते है। इनकी जानकारी जनसंपर्क टी.वी. रेडियों समाचार पत्रों आदि से प्राप्त हुई है। तथा ये बच्चों को शाला भेजने हेतु जागरूक है।

जबकि कुल योग का 66.6 प्रतिशत माता–पिता अशिक्षित है। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि व मजदूरी है। अर्थात् जब ग्रीष्म ऋतु में कृषि उत्पादन क्षमता कम हो जाती है तब इन्हें आय प्राप्ति हेतु मजदूरी करनी पड़ती है। जिससे इन्हें लगभग 2000–3000 मासिक आय प्राप्त हो जाती है। किन्तु जीवनयापन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह आय साधन अपर्याप्त होने पर ये संतानोपत्ति पर अधिक बल देते हैं। उन्हें "कमाऊ पुत्र" की संज्ञा दी गयी हैं इसलिए प्रायः इनके 3–4 बच्चे है। चूँकि माता–पिता अशिक्षित है।

इसलिए इन्हें शिक्षा योजनाओं की जानकारी नहीं है। ये केवल नाम से परिचित है या शिक्षा–योजना जैसे आंगनबाड़ी के बारे में इतना जानते है कि वहाँ से शिक्षा, भोजन, कपड़ा, दवाईयाँ मिलती हैं इसकी जानकारी इन्हें जनसंपर्क से प्राप्त हुई है। किन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये अशिक्षित होते हुए भी अपने बच्चों को शाला भेजने हेतु प्रयासरत् है। शाला जाने वाले बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष तथा वे 8वीं कक्षा में अध्ययनरत् है। अतः शाला जाने में इन्हें प्रायः स्कूल की अधिक दूरी, शिक्षक के दुर्व्यव्यहार (विशेषकर बालिकाओं के संदर्भ में), शिक्षक द्वारा दी जाने वाली सजा (मुर्गा बनाना, घुटने टिकानाना, छड़ी से मारना, कक्षा के बाहर व अंदर खंड़े रखना), घर का काम (खाना पकाना, पानी लाना, चारा काटना व गाय को खिलाना, कपड़े धोना छोटे बच्चों को खिलाना आदि) उपज एकत्रीकरण, टोकरी बनाना, खेती में मद्द, शिक्षक की भाषा समझ में न आना गणित, अंग्रेजी से भय गृहकार्य समझ में न आना, शौचालय, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युत, शैक्षिक सुविधाओं का आभाव व स्वयं का शर्मीला स्वाभाव इत्यादि समस्याएँ आती है। तथा इनके माता–पिता को बच्चों को शाला भेजते समय प्रमुख कठिनाई आर्थिक तंगी आती है।

अंततः जो बालक–बालिका इन विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, वे शाला में अध्ययन करते है तथा शिक्षक, पुलिस, नर्स, समाजसेवी व प्रतियोगी परिक्षाओं से संबंधित पद प्राप्ति की भविष्य–योजना बनाते है एवं जो बालक सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते है वे शालात्याग कर देते है।

वही दूसरी और शालात्यागी बालक–बालिकाओं के माता–पिता का शिक्षा प्रतिशत शाला जाने वाले बालक–बालिकाओं के माता–पिता से कम हैं अर्थात् केवल कुल योग का 25 प्रतिशत पिता शिक्षित हैं (16.6) प्रतिशत प्रा.शि., 8.3 प्रतिशत मा.शि.) जबकि कुल योग का 75 प्रतिशत अशिक्षित हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि व मजदूरी है। इनकी मासिक आय लगभग 2000–3000 है। अशिक्षा के कारण ये "छोटा परिवार सुखी परिवार" का महत्व को नहीं समझ पाते और संतानोपत्ति–क्रिया में संलग्न रहते है। इस कारण इनके प्रायः 3–4 या

अधिक बच्चे होते हैं जो "कमाऊ पूत" कहलाते है। इनके माता-पिता को प्रायः शिक्षा-योजनाओं की जानकारी नहीं है। वे केवल आंगनबाड़ी-योजना के नाम से परिचित है सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि से नहीं। इनकी जानकारी का मुख्य साधन जनसंपर्क है। जब इनके बच्चे स्कूल जाते थे तब इन्हें आर्थिक तंगी, उपजएकत्रीकरण व हाट में बेचना, स्वयं खेती कार्य, घर का काम आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अतः परिस्थितिवश ये अपने बच्चों को शाला से निकाल देते है या बच्चा स्वयं शालात्याग देता है।

इनके शालात्यागने की औसत आयु 14 वर्ष व कक्षा 8वीं है। वर्तमान में ये कुल योग का 75 प्रतिशत गांव व शहर में मजदूरी करते है। शाला त्यागने के पश्चात् इन्हें अतिकटु अनुभव हुये है जैसे लॉज में कमरे की सफाई, चाय के ठेले में बर्तन सफाई, विशेषकर बालिकाएँ रोजनदारी का काम, जबकि कुछ बालिकाएँ केवल घर का काम खेती में मद्द, खाना बनाना, कपड़े धोना, चारा काटना व पशु चराना, पानी लाना, छोटे बच्चों की देखभाल आदि है। इनकी शालात्यागने का मुख्य कारण प्रायः आर्थिक तंगी पिंता का दुर्व्यव्यहार, शिक्षक दुर्व्यव्यहार गृहकार्य न कर पाना, गणित, विज्ञान, संस्कृत आदि विषय का भय शिक्षक की भाषा समझ में न आना, शौचालय पेयजल, विद्युत शिक्षा सुविधा का आभाव आदि है, किन्तु ये शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् भविष्य में शिक्षक, नर्स, समाजसेवा व प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित पद प्राप्त करना चाहते थे क्योंकि इनका मानना है कि अगर ये पढ़लिख जाते तो इनका कोई शोषण नहीं कर सकता, इन्हें चूल्हा नहीं फूंकना पड़ता, रोजगार व शासकीय नौकरी मिल जाती आदि। इसके साथ ही ये (व्यवसायिक शिक्षा) सर्वाधिक सिलाई सीखना चाहते हैं इसके अतिरिक्त कढ़ाई, बुनाई, बढ़ईगिरी, बिजलीकार्य भी सीखना चाहते हैं।

किन्तु ये तभी संभव हैं जब ये शिक्षा के महत्व को समझेगे, जागरूक होगे परिणामतः शालात्यागी बच्चे की शाला सुचारू रूप से जाने लगेगे व बैगा-जनजाति में व्याप्त निरक्षरता धीरे-धीरे कम होने लगेगी तथा ये समाज

के अन्य वर्गो के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेगे फलतः **बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, वसुधैव कुटुम्बकम** की भावना चरितार्थ हो सकेगी।

5.1.1 प्रस्तुत शोध अध्ययन :

"बैगा–जनजाति की शिक्षा में आने वाली कठिनाईयाँः एक अध्ययन"

5.1.2 उद्देश्य :

1. बैगा–जनजाति की संस्कृति का अध्ययन।
2. बैगा–जनजाति के शैक्षिक–विकास हेतु चलायी जा रही शिक्षा योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन।

5.1.3 शोध प्रश्न :

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न शोध प्रश्नों का निर्माण क्रिया गयाः–

1. बैगा–जनजाति की शिक्षा में आने वाली क्या कठिनाईयाँ हैं?
2. शैक्षिक–सुविधाओं के बारे में बैगा–जनजाति की कया विचारधारा है?
3. शिक्षा के प्रति बैगा–जनजाति की मानसिकता क्या है?
4. शिक्षा एवं विकास के संबंध में बैगा–जनजाति का क्या दृष्टिकोण है?
5. शिक्षा एवं भविष्य के संबध में बैगा–जनजाति की क्या–क्या विचारधाराएँ है?

5.1.4 निदर्शन :

डिण्डौरी जिला के बैगा–बाहुल्य समनापुर विकासखण्ड के गांव पौड़ी, समर्धा, कमको पिपरियाँ का चयन उद्देश्यपूर्ण–विधि से किया गया इसकी शोध इकाई शाला जाने वाले व शालात्यागी बालक–बालिकाओं तथा उनके माता–पिता है। जिसके अंतर्गत 6 बालक शाला जाने व उनके 6 माता–पिता अभिभावक तथा 6 बालिकाएँ शाला जाने वाली व उनके 6 माता–पिता अभिभावक से संपर्क किया गया इस प्रकार कुल 24 इकाईयों को शोध अध्ययन में शामिल किया।

वही दूसरी और 6 बालक शालात्यागी व उनके 6 माता–पिता, अभिभावक तथा 6 शालात्यागी बालिकाएँ व उनके 6 माता–पिता, अभिभावक से संपर्क किया गया। इस प्रकार कुल 24 इकाइयों को शोध अध्ययन में शामिल किया गया। अतः शाला जाने वाले व शालात्यागी बालक–बालिकाएँ व उनके माता–पिता की कुल 48 शोध इकाईयों का अध्ययन किया गया।

5.1.5 शोध प्ररचना :

जाति वृत्तात्मक कार्य (एथनोग्राफिक मेथड) द्वारा बैगा–जनजाति की शिक्षा में भागीदारी की समस्या को देखा गया है। इसके लिए साक्षात्कार–अनुसूची में निर्धारित किये गये मुक्त प्रश्न (ओपन ऐण्डेड क्वच्शनस) द्वारा बैगा–समाज का शिक्षा में भागीदारी की समस्या के संबध में दृष्टिकोण जाना गया है।

5.1.6 शोध संबंधी उपकरण :

प्रस्तुत शोध हेतु शोधार्थी द्वारा विशेषज्ञों के परामर्श द्वारा स्वयं निर्मित साक्षात्कार–अनुसूची को शोध उपकरण के रूप में सम्मिलित किया गया तथा साक्षात्कार के माध्यम से बैगा–समाज का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण जाना गया।

5.1.7 प्रदत्तों का संकलन :

साक्षात्कार–अनुसूची की सहायता से शोधार्थी द्वारा शोध क्षेत्र में जाकर शोध अध्ययन की 48 इकाईयों (शाला जाने वाले व शाला त्यागी बालक–बालिका तथा उनके माता–पिता) से व्यक्तिगत–संपर्क बैगा प्रधान गांव (पौड़ी, समर्धा, कमर्को, पिपरियाँ) में जाकर स्थापित किया गया तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का उपयोग करते हुये साक्षात्कार के माध्यम साक्षात्कार–अनुसूची के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किये गये।

5.1.8 प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या :

शोधार्थी द्वारा प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु मास्टर–चार्ट बनाया गया, जिसमें प्राथमिक–स्त्रोतों से प्राप्त आँकड़ों को सरलतम् रूप प्रदान किया गया।

तत्पश्चात् आँकड़ों को सारणी रूप में व्यवस्थित किया गया तथा प्रतिशत निकालकर निष्कर्षो को प्राप्त किया एवं व्याख्या की गयी।

5.2 निष्कर्ष :

शोध अध्ययन के दौरान शोधार्थी द्वारा शाला जाने वाले एवं शालात्यागी बालक–बालिकाओं एवं माता–पिता से संबंधित पृथक–पृथक निष्कर्ष प्राप्त किये गये जो निम्नलिखित है :–

➢ शाला जाने वाले बालक–बालिका एवं माता–पिता हेतु निष्कर्ष :

1. शाला जाने वाले बालक–बालिका के पिता कुलयोग का 33.3 प्रतिशत शिक्षित एवं 66.6 प्रतिशत अशिक्षित है।
2. शाला जाने वाले बालक–बालिका के पिता का मुख्य व्यवसाय कृषि व मजदूरी, (कुल योग का 58.3 प्रतिशत) है एवं 25 प्रतिशत सरकारी नौकरी में पदस्थ है।
3. 50 प्रतिशत मातायें गृहणी है एवं कृषि व मजदूरी करती है।
4. इनकी पारिवारिक औसत आय 2000–3000 मासिक है, जो कुल योग का 50 प्रतिशत है।
5. इनके प्रायः चार या चार से अधिक बच्चे हैं जो कुल योग का 50 प्रतिशत है, जबकि 8.3 प्रतिशत 1 बच्चा, 16.6 प्रतिशत 2 बच्चे, 25 प्रतिशत के 3 बच्चे हैं
6. बच्चों को शाला भोजते समय इनकी सर्वप्रमुख समस्या आर्थिक तंगी हैं जो कुल योग का 41.6 प्रतिशत है।
7. शाला जाने वाले बालक–बालिका में कुल योग के 33.3 प्रतिशत पिता को आंगनबाड़ी, सर्वशिक्षा अभियान, जनश्री, बीमा योजना, छात्रवास योजना व छात्रवृत्ति योजना आदि की जानकारी है क्योंकि ये शिक्षित है। जबकि 66.6 प्रतिशत अशिक्षित पिता को केवल आंगनबाड़ी से संबंधित जानकारी रखते है।

8. शाला जाने वाले बालक–बालिका के माता–पिता को शिक्षा योजनाओं की जानकारी प्राप्ति का सबसे सशक्त माध्यम जनसंपर्क है जो कुल योग का 75 प्रतिशत है। जबकि रेडियो से 8.3 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत टी.वी. रेडियों, समाचार–पत्र, जनसंपर्क से जानकारी प्राप्त करते है।

9. शाला जाने वाले बालक–बालिकाओं की औसत आयु 14 वर्ष हैं जो कुछ योग का 41.6 प्रतिशत है।

10. शाला जाने वाले बालक–बालिकाओं की शिक्षा गृहण की अधिकतम कक्षा 8वीं है। जबकि 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी मात्र 16.6 प्रतिशत है। प्रायः विद्यार्थी 10वीं में ही फेल हो जाते है, इसलिए उच्च अध्ययन से वंचित रह जाते है।

11. शाला जाने वाले बालक–बालिकाओं को सर्वाधिक कुलयोग का 66.6 प्रतिशत शाला जाने में प्रायः 4 कि.मी. या से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है जबकि सबसे कम 1 कि.मी. के अंदर दूरी मात्र 8.3 प्रतिशत है।

12. छात्रों को शाला जाने में प्रायः सर्वाधिक कुलयोग का 33.3 प्रतिशत आवागमन के साधनों के आभाव का सामना करना पड़ता है। जबकि 25 प्रतिशत कच्ची सड़क, पहाड़ी रास्ता, 16.6 प्रतिशत अत्याधिक ग्रीष्म, शीत, वर्षा ऋतु के अत्याधिक प्रभाव का सामना करना पड़ता है।

13. छात्रों को कक्षा में शिक्षक के सर्वाधिक 66.6 प्रतिशत दुर्व्यव्यहार का सामना करना पड़ता हैं जैसे वह मुर्गा बनाता है, बालिकाओं को छड़ी से मारता है व घुटने टिकवाता है कक्षा के अंदर व बांहर खड़े रखता है।

जबकि मात्र 33.3 प्रतिशत शिक्षक व्यवहारिक व्यवहार मित्रतापूर्ण करते है एवं गृहकार्य संबंधी समस्याओं का समाधान करते है।

14. शाला जाने वाले बालक–बालिका सर्वाधिक कुलयोग का 58.3 प्रतिशत शिक्षक बनना चाहते है क्योंकि आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं

15. शाला जाने वाले बालक–बालिका को शिक्षा प्राप्ति के दौरान सर्वाधिक कुलयोग का 41.6 प्रतिशत सभी कठिनाईयों जैसे घर का काम, गाय चराना, पानी लाना, छोटे बच्चों की देखभाल, भाषा संबंधी कठिनाई गणित, विज्ञान, की विषयवस्तु समझ में न आना, गृहकार्य से डर, शिक्षक का अव्यवहार आदि का सामना करना पड़ता है।

16. शाला जाने वाले बालक–बालिका को सर्वाधिक 800 से अधिक छात्रवृत्ति मिलती है जो कुल योग 41.6 प्रतिशत है।

17. शाला जाने वाले बालक–बालिका को जो छात्रवृत्ति प्राप्त होती है वह उसका उपयोग पाठ्य पुस्तक खरीदने में, कपड़ा, अनाज, माता–पिता को देना आदि के रूप में करते है।

18. शासन से बालक–बालिका को प्रायः सायकल, भोजन, स्टेशनरी, कोचिंग व्यवस्था, कम्प्यूटर शिक्षण, खेल सामग्री पुस्तकालय, सभी विषयों के शिक्षक आदि सुविधाओं की अपेक्षा करते है।

19. शाला जाने वाले बालक–बालिका सर्वाधिक सिलाई सीखना चाहते हैं जो कुल योग का 41.6 प्रतिशत है, जिससे वे अपनी दुकान खोल सकते है, उन्हें आसानी से शासन से ऋण उपलब्ध हो सकेगा वे सिलाई केन्द्र खोलकर दूसरों को सिखाने के इच्छुक भी है।

➢ शालात्यागी बालक–बालिका एवं माता–पिता हेतु निष्कर्ष :

1. बैगा बाहुल्य अध्ययन क्षेत्र समनापुर विकासखण्ड डिण्डौरी जिला में सर्वाधिक 75 प्रतिशत शालात्यागी बालक–बालिकाओं के माता–पिता कृषक है, किन्तु कृषि से उनकी आर्थिक आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पाती, इस कारण गर्मी के दिनों में जब फसल उत्पादन क्षमता कम हो जाती हैं तब उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु मजदूरी करनी पड़ती है। अतः इसका मुख्य व्यवसय कृषि व मजदूरी है।

2. शालात्यागी बालक–बालिकाओं की सर्वाधिक 75 प्रतिशत मातायें गृहणी होते हुये भी मजदूरी व खेती करती है। जबकि मात्र 25 प्रतिशत मातायें केवल गृहणी हैं उनका दायित्व केवल परिवार की देखभाल करना है।

3. शालात्यागी छात्रों के माता–पिता की सर्वाधिक मासिक आय 2000–3000 है जो कुलयोग का 50 प्रतिशत है। जबकि सबसे कम मासिक आय 2,000 रू. से कम है जो कुल योग का 25 प्रतिशत है।

इसके अतिरिक्त 1,000 से 2,000 प्रतिमाह कमाने वाले 16.6 प्रतिशत एवं 3,800 से अधिक मात्र 8.3 प्रतिशत है इनकी आय को अधिकता का मुख्य कारण शिक्षित होना है, जो इन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रखता है।

4. चूँकि बैगा–जनजाति शहर से दूर सुदूर दुर्गम पहाड़ियों पर निवासित है इस कारण शोध अध्ययन क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार–प्रसार प्रायः प्रभावी रूप से नहीं हो पाता इस कारण ये शिक्षा के लाभ से वंचित रह जाते है यही कारण है कि शोध अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक 75 प्रतिशत शालात्यागी बालक–बालिकाओं के माता–पिता अशिक्षित है।

जबकि शहरी सीमा से लगे गांवों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का प्रभाव दृष्टि होता है। इस कारण मात्र 25 प्रतिशत लोग शिक्षित है।

5. शोध अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधि 75 प्रतिशत शालात्यागी बालक–बालिकाओं के पिता अशिक्षित हैं जबकि मात्र 25 प्रतिशत शिक्षित है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा 16.6 प्रतिशत व माध्यमिक शिक्षा 8.3 प्रतिशत पिताओं को प्राप्त है।

6. सर्वाधिक 58.3 प्रतिशत शालात्यागी बालक–बालिकाओं के माता–पिता ऐसे हैं जिनके 4 या 4 से अधिक बच्चे हैं जिन्होंने अपनी आर्थिक व निजी कारणों से शाला छोड़ी दी है, जबकि सबसे कम मात्र 8.3 प्रतिशत माता–पिता ऐसे है जिनके केवल 1 बच्चा हैं लेकिन वह भी अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में जुट गया हैं, शाला छोड़ चुका है।

तथा 16.6 प्रतिशत माता-पिता ऐसे हैं जिनके प्रायः 2-3 बच्चे है पर वह भी घरेलू व निजीकारणों से शाला त्याग चुके है।

7. सर्वाधिक 41.6 प्रतिशत शालात्यागी माता-पिता को स्कूल भेजते समय आर्थिक-तंगी, खेतीकार्य उपज एकत्रीकरण व उसे बाजार में बेचना आदि कार्य स्वयं करने पड़ते थे।

8. सर्वाधिक 75 प्रतिशत शालात्यागी बालक-बालिकाओं के माता-पिता को आंगनबाड़ी की अल्प जानकारियाँ हैं जैसे छोटे बच्चों को खाना दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोलियाँ दी जाती हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण व नवीन योजनाओं की जानकारियाँ दी जाती है।

जबकि सबसे कम मात्र 25 प्रतिशत माता-पिता जो साक्षर हैं उन्हें इन योजनाओं की प्रारंभिक जानकारियाँ हैं।

9. सर्वाधिक 75 प्रतिशत शालात्यागी बालक-बालिकाओं के माता-पिताओं को अपने बच्चों को शाला भेजते समय शिक्षा योजना से संबंधित जानकारियाँ जनसंपर्क से प्राप्त होती थी इसका मुख्य कारण उनकी निरक्षरता है।

जबकि 25 प्रतिशत माता-पिता ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ टी.वी., रेडियों, समाचार-पत्र व जनसंपर्क से प्राप्त हुई थी इसका मुख्य कारण उनकी साक्षरता है जो इन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक है।

10. शाला त्यागने वाले बालक-बालिकाओं की औसत आयु सर्वाधिक 14 वर्ष हैं जो कुलयोग का 66.6 प्रतिशत है।

11. शाला त्यागने वाले बालक-बालिका ने सर्वाधिक 8वीं कक्षा में ही शाला छोड़ देते है ये कुल योग का 66.6 प्रतिशत है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये 14 साल की आयु में इतने परिपक्व हो जाते है कि ये रूपया कमाने के लिए स्कूल छोड़ देते है अर्थात् इनकी शाला त्यागने का मुख्य कारण आर्थिक-तंगी है।

12. सर्वाधिक 75 प्रतिशत शालात्यागी बालक–बालिका अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान में मजदूरी शहर व गांव के रहकर करते हैं जबकि सबसे कम मात्र 8.3 प्रतिशत शाला त्यागी बालक–बालिका ऐसे है जो कृषि मजदूरी करते है।

13. सर्वाधिक 41.6 प्रतिशत शालात्यागी बालक–बालिकाओं को शाला त्यागने के पश्चात् घर का काम करना पड़ता हैं जैसे गाय चराना, पानी लाना, खेती में मद्द, उपज एकत्रीकरण, घर की सफाई, खाना बनाना आदि।

14. सर्वाधिक 50 प्रतिशत बालक–बालिकाओं ने आर्थिक–तंगी के कारण शाला छोड़ दी इसके अतिरिक्त 33.3 प्रतिशत ने विवाह 8.3 प्रतिशत ने पिता से दुर्व्यव्हार 8.3 ने अन्य कारणों (जैसे शिक्षक की भाषा समझ में न आना, अंग्रेजी, गणित से डर, शिक्षक द्वारा सजा देना, शिक्षक का अव्यवहार शाला दूर होना, पहाड़ी व कच्चा रास्ता, जंगली जानवरों का भय आदि से शालात्याग दी।

15. सर्वाधिक 41.6 प्रतिशत शालात्यागी बालक–बालिकाओं ने शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् भविष्य में शिक्षक बनने की योजना बनायी थी।

16. यदि शालात्यागी बालक–बालिका शिक्षित हो जाते तो सर्वाधिक 25 प्रतिशत ऐसे बालक–बालिका है जो यह मानते है कि उनका कोई शोषण नहीं कर सकता था, उन्हें रोजगार मिल जाता, शासकीय नौकरी मिल जाती।

    जबकि मात्र 8.3 प्रतिशत बालक–बालिका ऐते हैं जो अपने पिता का इलाज करा सकते थे, 16.6 प्रतिशत बालिकाएँ ऐसी है जो यह मानती है कि यदि वे पढ़लिख जाती तो उन्हें चूल्हा नहीं फूंकना पड़ता।

17. सर्वाधिक 50 प्रतिशत शालात्यागी बालक–बालिकाएँ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की व्यवसायिक–शिक्षा प्राप्त करना चाहती है। चुँकि वह सरकार से बिना ब्याज पर ऋण ले सकें, अपनी दुकान खोल सके व दूसरों को सिलाई, कढ़ाई बुनाई सिखा सकें।

5.3 शोध विषय का शैक्षिक महत्व :

शिक्षा, मानव व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रसन्नतापूर्ण वातावरण तथा सभी–सुविधाओं की उपलब्धता एक सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करती है। प्रस्तुत शोध में बैगा–जनजाति की शिक्षा में निम्न भागीदारी की समस्या का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन के द्वारा बैगा–जनजाति की उन कठिनाईयों पर प्रकाश डाला गया है जो उनकी शैक्षिक–प्रगति में बाधक हैं जैसे भाषा, निम्न आय स्तर, निश्चित रोजगार का आभाव, परिवार कल्याण के संबंध में अपर्याप्त जागरूकता, अपर्याप्त शिक्षक, शाला की अत्याधिक दूरी आवागमन के साधनों के शौचालय, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि का आभाव।

इस शोध अध्ययन के द्वारा उन सभी कठिनाईयों को समाधानित कर (जैसे निश्चित व स्थायी रोजगार की उपलब्धता शौचालाय पेयजल विद्युत स्वास्थ्य सुविधा हेतु) सुझाव दिये गये है।

यदि बैगा–जनजाति स्वयं अपनी उन्नति हेतु प्रयत्नशील व जागरूक हो जाये तो वह समाज के अन्य वर्गो के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। इस दिशा में यह शोध कार्य एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यह शोध अध्ययन शालात्यागी व स्त्रोत के रूप में सहायक हो और यह उन्हें शासन की विभिन्न शिक्षकशिक्षा योजनाओं, संवैधानिक प्रावधानों, एवं शैक्षिक–सुविधाओं एवं वर्तमान में बैगा–जनजाति की शैक्षिक–स्थिति को स्पष्ट करने में सहायक है।

5.4 सुझाव :

शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन क्षेत्र में प्राप्त किए गए निष्कर्षो के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं–

1. विकास की मूलभूत आवश्यकताएँ अर्थात् पक्की सड़क, बिजली, पेयजल, रोजगार, स्वास्थ सुविधा की नियमित व्यवस्था की जाये।

2. हर 1 कि.मी. की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाये ताकि छोटे बच्चे आसानी से विद्यालय से जुड़ सके।
3. हर 3 कि.मी. पर माध्यमिक विद्यालय खोले जाये।
4. इन क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षित बैगा शिक्षक तथा ऐसे शिक्षक जिनकी बैगा–संस्कृति में रूचि है को प्रशिशित कर पदस्थ किया जाना चाहिए।
5. प्रत्येक विषय व कक्षा के लिए अलग–अलग शिक्षक व्यवस्था की जाये।
6. कक्षा प्रतिदिन नियमित रूप से लगनी चाहिए।
7. परंपरागत–शिक्षण को बढ़ावा देने हेतु तीरंदाजी व वैद्य–चिकित्सा पद्यति को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए।
8. बालिकाओं के समान बालकों को श्री विद्यालय जाने हेतु सायकल की व्यवस्था की जाये।
9. शैक्षिक–सुविधाओं कॉपी, पेन, रजिस्टर, गणवेश, बस्ता, भोजन, छात्रवृत्ति आदि में व्याप्त भ्रष्टाचार समापन हो।
10. चूँकि बैगा प्रधान क्षेत्रो में पदस्थ शिक्षक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुये शिक्षण कार्य करते है, अतः उनका मानदेय भी बढ़ाया जाये।
11. बैगा छात्रों हेतु कम्प्यूअर शिक्षण की व्यवस्था नियमित की जाये।
12. बैगा जाति के प्रतिभावन छात्रों के उज्जवल भविष्य हेतु विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाये।
13. पुस्तकालय व प्रायोगिक–कक्ष की व्याख्या विद्यालय में पृथक रूप से की जाये।
14. विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन नियमित रूप से किया जाये ताकि बैगा छात्र सामान्य बर्गो के छात्रों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें।

15. शिक्षक द्वारा कक्षा में दी जाने वाली सजा (जैसे मुर्गा बनना, छड़ी मारना, घुटने टिकवाना, कक्षा के भीतर व बाहर खड़े रखना) समाप्त की जाये ताकि छात्र नियमित रूप से विद्यासर्जन कर सके।

16. छात्रों के मन मस्ष्तिक से अंग्रेजी, गणित व संस्कृत का भय समाप्त करने हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाये।

17. शिक्षक द्वारा वयस्क बालिकाओं के साथ किया जाने वाला अव्यवहार समाप्त करने हेतु नवीन अनुशासानात्मक कानून बनाये जाए एवं इनका पालन कढ़ाई से कराया जाये ताकि बैगा बालिकाएँ की विद्यालय जाकर अपनी शैक्षणिक विकास कर सके।

18. स्कूल जाने हेतु बालक/बालिकाओं को प्रेरित करने हेतु विभिन्न शैक्षणिक, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाये।

19. विभिन्न शिक्षा योजनाओं (आँगनबाड़ी, सर्वशिक्षा अभियान आदि) की जानकारी उनकी अपनी भाषा में नुक्कड़ नाटक, कहानीं गीत के माध्यम से दिया जाये।

20. मध्यान्ह भोजन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त हो व पोष्टिक भोजन प्रदान करने हेतु उचित व्यवस्था की जाये।

21. बैगा-जनजाति हेतु गांव के भीतर ही वार्षिक, मासिक रोजगार की व्यवस्था की जाये।

22. महिलाओं हेतु पृथक रोजगार की मांग की गई है, ताकि वे बड़े साहबों को बुरी नजर से बची रहे।

23. वयस्क युवक-युवतियों हेतु सामुहिक-विवाह की व्यवस्था की जाये।

24. इनके प्रायः 3-4 बच्चे हैं, अतः इन्हें परिवार कल्यांण की जानकारी दी जाये।

25. अशिक्षित माता-पिता को शिक्षित करने हेतु प्रौढ़शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था की जाये।

26. शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में अध्यापन हेतु टीचिंग एड्स का उपयोग किया जाये।

27. शिक्षक द्वारा छात्रों की भविष्य योजना (शिक्षक, पुलिस, नर्स, समाजसेवक विभिनन उच्च पद आदि) की जानकारी दी जाये।

28. प्रायः सभी बालक-बालिकाएँ व्यवसायिक-शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, अतः इसकी निःशुल्क व्यवस्था उनके अपने रहवासी क्षेत्र के निकट की जाये जिसमें उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बढ़ईगिरी, बिजली कार्य आदि की प्रशिक्षण दिया जाये।

29. विद्यालय के भवन की संरचना में परिवर्तन किया जाये ताकि कक्षाकक्ष का आकार बड़ा हो जिससे सभी छात्र-छात्राएँ कक्षा में स्वतंत्रतापूर्वक बैठ सकें। तथा डेक्स-बैंच की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।

30. शौचालय व पेयजल की व्यवस्था की जाये।

31. उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाये।

32. विज्ञान, गणित संकाय व प्रतियोगी-परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाये।

33. कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था की जाये।

34. कक्षाकक्ष में युक्तियुक्त वाक्य व मानचित्रों की व्यवस्था की जाये। जिससे छात्रों में अध्यापन हेतु नवीन ऊर्जा का संचार होगा।

5.5 शोधकार्य के दौरान उत्पन्न कठिनाईयाँ :

शोधकार्य के दौरान शोध समस्या से संबंधित निम्नलिखित कठिनाईयाँ शोधार्थी को अनुभव हुई-

1. स्वयं निर्मित उपकरण तैयार करते समय प्रश्नों व विकल्पों के चुनाव में कठिनाई आयी।

2. चूँकि शोधकार्य साक्षात्कार के माध्यम से पूर्ण किया गया। अतः शोधकार्य पूर्ण कर लेने के पश्चात् खुले प्रश्नों से संबंधित विकल्पों के चयन में कठिनाई आयी।
3. बैगा–जनजाति का बसाव शहर से दूर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के होने के कारण शोधार्थी को पैदल यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि गाँव के यातायात के साधनों का आभाव है।
4. बैगा–जनजाति में अशिक्षा एवं असमानता के कारण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में कठिनाई आयी।
5. शोधकार्य को बैगा–जनजाति सरकारी कार्य समझते है। अतः उन्हें बार–बार समझाया गया तब जाकर वे प्रश्नों के उत्तर देते थे।
6. साक्षात्कार के दौरान एक–एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए शोधार्थी को कई सहायक प्रश्न करने पड़े।
7. चूँकि बैगा–जनजाति को आपकी विशिष्ट भाषाशैली है। अतः कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए स्थानीय शिक्षक की सहायता ली गयी।